



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN-U32201UP1999SGC024928

संख्या-422-पै0एण्डआर0-28/पाकालि/18-108-पेंशन-31/90(TC),

दिनांक 09 मई, 2018

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन,
लखनऊ,

निदेशक,
कोषागार,
कोषागार निदेशालय,
लखनऊ,

निदेशक,
वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय,
जवाहर भवन,
लखनऊ,

विषय : उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित, में पंचम वेतन आयोग के आधार पर अनुमन्य अपुनरीक्षित वेतनमानों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा अनन्तिम पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को दिनांक 01.07.2017 से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-942-पै0एवंआर0-28 /पाकालि/17-108-पी/1990 (टी0सी0), दिनांक 22.09.2017 के अनुक्रम में अवगत कराना है कि ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जिनके पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण छठवें वेतन आयोग के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित न हो पाने के फलस्वरूप उनके द्वारा पाँचवें वेतन आयोग के अन्तर्गत ही निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त किया जा रहा है, को उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-05/2018/सा-3-113/दस-2018-301/2000 टी0सी0, लखनऊ दिनांक 05.03.2018 की अनुरूपता में उन्हें अनुमन्य हो रही पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01.07.2017 से निम्नानुसार बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत अनुमन्य होगी:-

तिथि जब से देय है-	महंगाई राहत की मासिक दर-
01 जुलाई, 2017	मूल वेतन का 268 प्रतिशत,

2. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा उससे अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में मान लिया जायेगा।
4. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 1054-डब्लू0सी/राविप-औसं-19-14-(23) एक-85, दिनांक 16.06.1988 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/कोषागार द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अनुसार महंगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।
5. महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या-422(1)पै0एण्डआर0-28/पाकालि/18, तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अपर पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

क्रमशः.....2

